


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था/2019 दिनांक 19.06.2019 द्वारा श्री हेतराम मेहरड़ा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलेजी, लूनकरनसर जिला बीकानेर को प्रशासनिक आवश्यकता के मद्देनजर राउमावि बोड़ाना जिला जैसलमेर स्थानान्तरित किया गया था किन्तु श्री हेतराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से एस.बी. सिविल याचिका संख्या 9417/2019 हेतराम मेहरड़ा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.07.2019 द्वारा स्थगन प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप राउमावि फूलेजी, लूनकरनसर जिला बीकानेर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उक्त दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर एवं श्री हेतराम मेहरड़ा के सम्बन्ध में विभागीय आदेश दिनांक 19.06.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित कर दिये जाने के कारण श्री हेतराम मेहरड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलेजी, लूनकरनसर जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन कार्यरत रहेंगे एवं श्री बजरंग लाल, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ोपल, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर इसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 24.07.2019

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/हेतराम/एसबीसिया/9417/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, भासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/हनुमानगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) बीकानेर/हनुमानगढ़।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लूनकरनसर, बीकानेर/पीलीबंगा, हनुमानगढ़।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)